


05 AUG 2023



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GB 745506



संतोष यादव / रुद्रकांत / शशि

शापथपत्र / प्रमाणपत्र

श्री प्रमोद कुमार शर्मा

समक्ष:—श्रीमान सचिव महोदय,

प्रावधिक शिक्षा परिषद उ०प्र० लखनऊ

हम संतोष यादव एवं अनुज कुमार कमरा: अध्यक्ष एवं सचिव श्रीमती शान्ति देवी मेमोरियल ट्रस्ट रेलमण्डी जसवन्तनगर इटावा इटावा शपथपूर्वक निम्नवत ब्यान करते हैं—

1. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा संतोष कालेज ऑफ फार्मसी कचौरा रोड जसवन्तनगर नामक डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना सत्र 2023-24 से किया जाना प्रस्तावित है।
2. यह कि हमारी सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम श्रीमती शान्ति देवी मेमोरियल ट्रस्ट, सिवुहाट (पते) जहाँ पर भूमि स्थित है जसवन्तनगर गाटा सं० 713/4 एवं 0.9740 रकवा 0.324 हैक्टेयर एवं ..... हेक्टेयर (कुल रकवा 0.3240 है०) भूमि है।
3. यह कि उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार कोई भी वाद किसी भी न्यायालय मे नहीं चल रहा है और भूमि विवाद रहित है।
4. यह कि उपरोक्त पते पर सोसाइटी के नाम उपलब्ध भूमि के गाटा सं० 713/4 एवं ..... रकवा कमरा: 0.9740 एवं ..... हेक्टेयर (कुल रकवा 0.3240 है०) पर उपरोक्त नाम की डिप्लोमा इन फार्मसी संस्थान की स्थापना किये जाने का प्रस्ताव सोसाइटी/ट्रस्ट की बैठक दिनांक 20-7-2022 द्वारा पारित किया गया है।
5. यह कि उपरोक्त भूमि पर ही प्रश्नगत डिप्लोमा फार्मसी संस्थान के संचालन हेतु भवनों का निर्माण अनुमोदित नक्शे के अनुसार किया गया है।
6. यह कि निरीक्षण समिति के समक्ष उपरोक्त पते पर सोसाइटी/ट्रस्ट के नाम भूमि एवं उस पर निर्मित एवं निर्धारित भवनों को ही निरीक्षण समिति के समक्ष निरीक्षण हेतु प्रस्तुत किया गया है।

हम यह कि इस भूमि एवं इस पर निर्मित भवनों पर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली के नियमों के अंतर्गत ही डिप्लोमा संस्थान का ही संचालन किया जायेगा।



श्री

संतोष यादव

8. यह कि, इस संस्था में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध पाठ्यक्रम एवं प्रवेश क्षमता के अनुसार ही पाठ्यक्रम में प्रशिक्षण प्रदान किया जायेगा।
9. यह कि, उपरोक्त भूमि व इस पर निर्मित भवनों में फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली से अनुमोदित एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० लखनऊ से सम्बद्ध संस्था एवं पाठ्यक्रमों के अतिरिक्त किसी अन्य परिषद/विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित/सम्बद्ध कोई अन्य संस्थान/विद्यालय/महाविद्यालय/आई०टी०आई० आदि का संचालन न तो पूर्व में कभी किया गया है, और न ही भविष्य में कभी किया जायेगा।
10. यह कि, संस्थान के संचालन हेतु आवश्यक क्लास रूम, प्रयोगशालाओं एवं कार्यशालाओं आदि को फार्मैसी काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली एवं प्राविधिक शिक्षा परिषद के मानकों के अनुसार ही सुसज्जित किया जायेगा।
11. यह कि, संस्था के संचालन हेतु आवश्यक शैक्षिक एवं अशैक्षिक स्टाफ की तैनाती सोसाइटी/ट्रस्ट द्वारा सत्र प्रारंभ के पूर्व कर लिया जायेगा।
12. यह कि, शासन/परिषद द्वारा निर्गत निर्देशों/आदेशों का भलीभांति पालन करूँगा। यदि मेरे संस्थान में किसी भी समय स्थलीय निरीक्षण में मानकानुसार कोई भी कमी पायी जाती है तो परिषद की निरीक्षण एवं सम्बद्धता समिति द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम होगा एवं मुझे मान्य होगा। इस हेतु मेरे द्वारा कोई विधिक कार्यवाही नहीं की जाएगी।
13. मैं घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गयी उपरोक्त सूचना मेरी निजी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। यदि दी गयी जानकारी एवं अभिलेख/दस्तावेज फर्जी, कूटरचित अथवा त्रुटिपूर्ण पाये जाते हैं तो मेरे विरुद्ध परिषद द्वारा नियमानुसार कानून संगत कार्यवाही की जा सकेगी। ऐसी की गयी विधिक कार्यवाही हेतु मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा।

ह० सचिव

ह० अध्यक्ष  
संस्था परिषद

प्रमाणित किया जाता है कि इस शपथ पत्र को  
श्री रमाधर सिंह कृ० लखनऊ  
जिनकी पहचान श्री रमाधर सिंह एडवोकेट/कलक में की  
जिनको आज मेरे समक्ष प्रस्तुत किया गया शपथ पत्र में पूर्ण अभिलेख  
को पढ़कर अनुवाद को सुनकर व समझ कर शपथ पत्र स्वीकार किया  
दिनांक 30/08/25 स्थान लखनऊ कलक रमाधर सिंह  
प्राप्त की।

रमाधर सिंह  
30/08/25  
तहसील जसवन्तनगर, जि० इटावा

